



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 25.02.2025

1.साइबर थाना द्वारा, वादिनी को डिजिटल अरेस्ट कर 84,16,979 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले 03 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.02.2025 को साइबर थाना नोएडा द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादिनी को डिजिटल अरेस्ट कर 8416979 रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाले 03 अभियुक्तों 1.राम सिंह पुत्र कुँवर सिंह 2. नरेंद्र सिंह चौहान पुत्र सज्जन चौहान 3. अक्षय कुमार पुत्र सुरेश कुमार को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण--वादिया निवासी सेक्टर-45 नोएडा गौतमबुद्धनगर ने साइबर थाना नोएडा पर दिनांक 26/04/2024 को मु0अ0सं0-55/2024 धारा 419,420 भादवि व 66 डी आई.टी.एक्ट अभियोग पंजीकृत कराया जिसमें साइबर अपराधी द्वारा पीडिता को फेडेक्स कोरियर कंपनी के नाम पर पार्सल में 5 ट्रैवलिंग पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटप, 4 किलो कपड़े, 200 ग्राम एनडीएमए, 35,000/ नकद रुपये बताते हुए पीडिता को डराकर तथा मनी लाँड्रिंग का केस होने का आरोप लगाकर 84,16,979 रुपए की धोखाधड़ी की गयी। विवेचना मे त्वरित कारवाही करते हुए धोखाधड़ी मे लिप्त संदिग्ध बैंक खातो को तत्काल फ्रीज कराया गया, विवेचना के क्रम मे साक्ष्य संकलन के पश्चात धारा 468/120बी0 आईपीसी की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्तों का विवरण--

1. राम सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी म0न0 273 पिपलीवाला टाउन थाना मनीमाजरा थाना मनीमाजरा चण्डीगढ़ हाल पता म0न0 363 पिपलीवाला टाउन थाना मनीमाजरा थाना मनीमाजरा चण्डीगढ़ पिन कोड-160101 (खाताधारक)
2. नरेंद्र सिंह चौहान पुत्र सज्जन सिंह चौहान निवासी रामगढ़ दाऊँ थाना बलोनगी जनपद मोहाली पंजाब उम्र 29 वर्ष
3. अक्षय कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी म0न0 394 ग्राम कजहेड़ी सेक्टर 52 थाना सेक्टर 36 चंडीगढ़ उम्र 28 वर्ष को ग्राम कजहेड़ी सेक्टर 52 थाना सेक्टर 36 चंडीगढ़ (बैंक कर्मी)

पूछताछ का विवरण--अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि ये लोग प्राइवेट बैंकों मे साठ गांठ कर बैंक कर्मी से मिलकर आम जन मानस के करंट खाते खुलवाकर धोखाधड़ी की धनराशि प्राप्त कर लेते हैं और उसमे

आई धोखाधड़ी की धनराशि को आपस में कमीशन के रूप में वितरित कर लेते हैं इसी क्रम में अभियुक्त /खाताधारक राम सिंह ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर इंडसइंड का बैंक खाता खुलवाया जिसमें दिनांक 25/06/2024 को लगभग 69,78,8,94 लाख रुपये प्राप्त किये गए, जिसको इन्होंने आपस में वितरित कर लिए गए

नोट- मुकदमा उपरोक्त में वादीनी के साथ हुई धोखाधड़ी की 21 लाख रुपये फ्रीज कराकर 16 लाख रिफ्रैंड कराए जा चुके हैं अन्य की वापसी की कार्यवाही प्रचलित है,

अभियुक्तगणों से बरामद एवं धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक खातों को एनसीआरपी पोर्टल पर चेक करने पर कुल 41 शिकायतें (महाराष्ट्र- 07, कर्नाटक 06, तलेगाना- 05, केरल 04, बिहार 03, गुजरात- 03, उत्तर प्रदेश- 03, हरियाणा 02, मध्य प्रदेश 02, तमिलनाडु 02, आंध्र प्रदेश 01, नागालैंड -01, पंजाब- 01, वेस्ट बंगाल- 01) दर्ज पाई गई हैं, जिसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है, उपरोक्त प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त उमेश महाजन की गिरफ्तारी दिनांक 30/07/2024 को नई दिल्ली से की जा चुकी

2.थाना दनकौर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.02.2025 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 32/25 धारा 191(2),191(3), 190 115(2), 109,352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकाश में आये अभियुक्त 1. प्रशांत भडाना पुत्र गजब सिंह उर्फ गजबी को बुलंदखेड़ा गांव के रास्ते के मोड़ पर गेट के पास से **गिरफ्तार** किया गया है तथा अभियुक्त रिकू पुत्र महाराज सिंह उर्फ नुम्मी उर्फ रामवीर निवासी ग्राम बुलन्दखेड़ा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को ग्राम बुलन्दखेड़ा से अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त प्रशान्त भडाना के कब्जे से एक तमंचा .315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 19.02.2025 को थाना दनकौर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सरकपुर में सागर अपनी दुकान के पास खड़ा था तभी लक्की पुत्र विनोद निवासी ग्राम सरकपुर अपनी गाड़ी से दूध डालकर वापस गाँव में जा रहा था, जिसकी गाड़ी से धूल उड़ने पर सागर और विनोद में बीच गाली-गलौच हो गयी थी, इसके बाद लक्की, विनोद, सुभाष, जयप्रकाश उर्फ कालिया, वरुण आदि द्वारा सागर के साथ मारपीट की गयी तथा लक्की द्वारा पिस्टल से सागर के ऊपर गोली चला दी गई थी। वादी की तहरीर पर थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 32/25 धारा 191(2),191(3), 190 115(2), 109, 352 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

बरामदगी का विवरण--

01 तंमचा .315 बोर,02 कारतूस .315 बोर

अभियुक्तों का विवरण--

1. रिकू पुत्र महाराज सिंह उर्फ नुम्मी उर्फ रामवीर निवासी ग्राम बुलन्दखेड़ा थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
2. प्रशांत भडाना पुत्र गजब सिंह उर्फ गजबी निवासी ग्राम निजामपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 32/25 धारा 191(2),191(3),190, 115(2),109,352 बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना दनकौर बनाम रिकू,प्रशांत भडाना
2. मु0अ0सं0 32/25 धारा 191(2),191(3),190, 115(2),109,352 बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना दनकौर बनाम प्रशान्त भडाना गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 526/24 धारा 394/411/34 भा0द0वि0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद बनाम प्रशान्त भडाना गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 572/24 धारा 307/411/414 भा0द0वि0 व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना नन्दग्राम गाजियाबाद बनाम प्रशान्त भडाना गौतमबुद्धनगर

3. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 09 किलो 200 ग्राम अफीम पोस्त डोडा (कीमत करीब 2.5 लाख रूपये) बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.02.2025 को थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र रामदास को शनि मंदिर से सेक्टर 62 गोल चक्कर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 09 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम पोस्त डोडा (कीमत करीब 2.5 लाख रूपये) बरामदा

अभियुक्त का विवरण--

धर्मेन्द्र पुत्र रामदास निवासी ग्राम मोहम्मदपुर पथरा थाना आँवला, जनपद बरेली (उम्र 22 वर्ष)

बरामदगी का विवरण--

09 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम पोस्त डोडा (कीमत करीब 2.5 लाख रूपये)

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 90/2025 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा

4. थाना जेवर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की इको गाडी बरामदा

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25/02/2025** को **थाना जेवर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. प्रशान्त पुत्र शिव कुमार शर्मा 2. गोलू उर्फ योगेश शर्मा पुत्र भूरा उर्फ छेदीलाल शर्मा को खुर्जा अण्डरपास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 इको गाडी बिना नम्बर प्लेट बरामदा जानकारी करने पर बरामद गाडी का सही नम्बर HR29AS9108 ज्ञात हुआ है जिसके सम्बन्ध में थाना बल्लभगढ जिला फरीदाबाद हरियाणा में मु0अ0सं0 740/2019 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. प्रशान्त पुत्र शिव कुमार शर्मा नि0 ग्राम मधुपुरा थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर
2. गोलू उर्फ योगेश शर्मा पुत्र भूरा उर्फ छेदीलाल नि0 मोहल्ला मल्लपाडा कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 70/25 धारा 317(2),317(5) थाना जेवर
2. मु0अ0सं0 740/19 धारा 379 भादवि थाना बल्लभगढ फरीदाबाद हरियाणा

बरामदगी का विवरण--

चोरी की इको गाडी बिना नम्बर प्लेट